

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2013-14 में ₹ 1,641 करोड़ का राजस्व घाटा 2014-15 के दौरान ₹ 1,944 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ (परिशिष्ट 1.3) हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2014 में 0.70 करोड़ हो गई, जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत (30 प्रतिशत) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा इसके राज्य सकल घरेलू उत्पाद¹ की मिश्रित विकास दर 2005-06 से 2014-15 की अवधि के लिए 15.02 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) रही है।

चालू मूल्यों पर 2014-15 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 95,587 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,04,943² थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल राज्य उत्पाद (करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807	उपलब्ध नहीं
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चालू मूल्यों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2010-15 की अवधि के दौरान अन्तः वर्षीय ह्रासोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाती है।

¹ परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।

² अग्रिम आंकड़ा

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में चालू वर्ष (2014-15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़)

प्राप्तियां	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेतर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	राजस्व व्यय	17,352	16,583	3,204	19,787
कर राजस्व	5,121	5,940	सामान्य सेवाएं	7,046	7,534	70	7,604
कर-भिन्न राजस्व	1,785	2,081	सामाजिक सेवाएं	6,706	5,734	1,717	7,451
संघीय करों/शुल्कों का भाग	2,491	2,644	आर्थिक सेवाएं	3,591	3,305	1,418	4,723
भारत सरकार से अनुदान	6,314	7,178	सहायता अनुदान व अंशदान	9	--	9	9
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	650	पूंजीगत परिव्यय	1,856	42	2,431	2,473
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	17	41	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	531	--	--	474
लोक ऋण प्राप्तियां	4,050 ³	10,877	लोक ऋण की चुकौती	1,704	--	--	8,260
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां#	10,300	10,575	लोक लेखा संवितरण#	9,227	--	--	8,844
अथ रोकड़ शेष	(-) 295	(-) 887	अन्तिम रोकड़ शेष	(-) 887	--	--	(-) 739
योग	29,783	39,099	योग	29,783			39,099

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 2,132 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ीं। यह वृद्धि सहायता अनुदान (₹ 864 करोड़), कर राजस्व (₹ 819 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹ 296 करोड़) तथा संघीय करों/शुल्कों में अंश (₹ 153 करोड़) में वृद्धि का शुद्ध परिणाम थी।
राजस्व व्यय	₹ 2,435 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेतर व्यय तथा योजनागत व्यय में यह वृद्धि क्रमशः ₹ 1,618 करोड़ तथा ₹ 817 करोड़ थी।
राजस्व घाटा	परिणामतः राजस्व घाटा ₹ 303 करोड़ (18 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,944 करोड़ हो गया। इससे यह भी इंगित है कि राज्य इस घाटे को पूरा करने के लिए उत्तरोत्तर उधार का आश्रय ले रहा था जो कि चिन्ताजनक है।
पूंजीगत व्यय	₹ 617 करोड़ (33 प्रतिशत) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां ₹ 6,827 करोड़ (169 प्रतिशत) बढ़ गयीं जबकि लोक ऋण चुकौतियां ₹ 6,556 करोड़ (385 प्रतिशत) बढ़ीं।
लोक लेखा प्राप्तियां	₹ 275 करोड़ (तीन प्रतिशत) बढ़ीं तथा संवितरण ₹ 383 करोड़ (चार प्रतिशत) घटे।
अन्तिम नकद शेष	₹ 148 करोड़ बढ़ गया।

³ वास्तविक मूल्य ₹ 4,050.70 करोड़

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों पर राज्य सरकार का निष्पादन निम्नवत् तालिका 1.3 क एवं ख में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 (क): मुख्य राजकोषीय परिवर्तन

राजकोषीय परिवर्तन	2014-15				
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 [#] में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन	
				राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 [#] में प्रस्तावित/प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-)3,262	(-)1,944	राजस्व घाटा	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-)5.74	(-) 4.39	(-) 1.39	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	40.10	37.58	39.96	लक्ष्य लब्ध	(-)2.38

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

#मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेण्ट

*इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से निम्नोक्त महत्वपूर्ण तथ्य उद्भूत हुए:

- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के प्रक्षेप/निर्धारण के अनुसार राज्य सरकार ने एम0टी0एफ0पी0एस0 के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।
- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजस्व अधिशेष पर कायम रहने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में राजस्व घाटा ₹ 1,944 करोड़ था।
- एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित 3.00 प्रतिशत या कम लक्ष्य के सापेक्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कुल बकाया ऋण का अनुपात एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में उल्लिखित लक्ष्य के अर्न्तगत था।

तालिका 1.3 (ख): वर्ष 2010-15 के लिए राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय घटक	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15				
	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा	ल	प्र	वा		
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (करोड़ में)	*	--	(-) 1,235	*	--	645	*	355	(-) 576	*	(-)	(-) 1,810	1,641	*	(-)	(-) 3,262	1,944
राजकोषीय घाटा (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में)	3.5	5.08	4.83	3.00	2.70	2.59	3.00	2.88	4.13	3.00	2.85	4.86	3.00	5.74	4.39		
जी0एस0डी0पी0 पर सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	49.70	56	58	47.00	44.00	31	44.40	40.10	39.70	42.10	37.95	41.03	40.10	37.58	39.96		

ल: तेरहवें वित्त आयोग/एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित लक्ष्य

प्र: एम0टी0एफ0पी0एस0 में प्रस्तावित प्रक्षेप/लक्ष्य

वा: वास्तविक आंकड़े


*: राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण

- तालिका 1.3 (ख) में यथाप्रदर्शित पाँच वर्षों की अवधि के लिए एम0टी0एफ0पी0एस0 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की जाँच से स्पष्ट है कि उन्हें तेरहवें वित्त आयोग/एफ0आर0बी0एम0 एक्ट की अपेक्षाओं की पूर्ण अनदेखी करके निर्धारित किया गया था।
- 31 मार्च 2015 को समाप्त पांच वर्षों में 2011-12 को छोड़कर किसी भी वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत या कम राजकोषीय घाटे व राजस्व अधिशेष कायम रखने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2014-15 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गये हैं:

चार्ट 1.1: चयनित राजकोषीय मापदंड: वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन



बजट प्राक्कलन	5,338	1,389	16,522	19,784	2,750	1,952	(-) 3,262	(-) 5,355	(-) 2,605
वास्तविक आंकड़े	5,940	2,081	17,843	19,787	2,849	2,473	(-) 1,944	(-) 4,200	(-) 1,351

स्रोत: आय तथा व्यय (जनवरी 2015) तथा वित्त लेखे 2014-15/वार्षिक वित्तीय विवरण 2014-15 की समीक्षा

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राजस्व, प्राथमिक व राजकोषीय घाटे में वैविध्य मूलतः प्राक्कलनों की तुलना में अधिक राजस्व वसूली से हुआ जो कि सराहनीय था लेकिन इससे यह भी प्रश्न पैदा होता है कि बजट प्राक्कलन अवास्तविक थे और उन्हें राजस्व की वसूली प्रवृत्ति की बेहतर सूचना व समझ पर आधारित होना चाहिए था।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

14 नवम्बर 2008 को सामाजिक, न्याय तथा अधिकारिता विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था, किन्तु सामाजिक, न्याय तथा अधिकारिता विभाग का दो विभागों अर्थात् महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले में विभाजन के उपरांत वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 19 स्कीमें थीं तथा वर्ष 2014-15 के दौरान पांच स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 282.13 करोड़ के कुल परिव्यय के प्रति वर्ष 2014-15 के अन्त तक ₹ 13.51 करोड़ के अधिक व्यय सहित ₹ 295.64 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी।

1.1.5 हाल के वर्षों के बजटों में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल

2014-15 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने मुख्य रूप से निर्धन तथा दलित को ध्यान में रखते हुए राज्य तथा समाज के क्रमशः सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास की प्रतिबद्धता की थी। 2014-15 के दौरान सरकार की कुछ मुख्य नीतियों के अन्तर्गत इन स्कीमों पर बजट प्रावधान एवं किये गये वास्तविक व्यय को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल, बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़)




क्रमांक	स्कीम का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्त बजट	व्यय	प्राप्त वास्तविक बजट पर व्यय प्रतिशत
1	एकीकृत शिशु विकास सेवाएँ	200.97	254.73	254.73	243.38	95.54
2	शुक्राणु स्टेशन पालमपुर में तरल नाइट्रोजन गैस संयन्त्र लगाना	4.00	4.21	4.30	4.21	97.91
3	डा0 वाई0एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना	20.00	13.45	13.45	13.45	100
4	एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम	17.00	-	-	59.38*	-

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

*गत वर्षों के अथशेष से व्यय किया गया।

यद्यपि एकीकृत जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम के संचालनार्थ राज्य के बजट में ₹ 17 करोड़ का प्रावधान था लेकिन सरकार द्वारा बजट नहीं दिया गया। इसके अलावा लोक निजी भागीदारी कक्ष की स्थापना के लिए बजट भाषण में घोषणा के बावजूद भी सितम्बर 2015 तक इस कक्ष का शुभारम्भ नहीं हुआ क्योंकि इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार ने कोई बजट उपलब्ध नहीं करवाया।

1.2 राज्य के संसाधन




1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूंजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग

किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.2**, 2010-15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। उपर्युक्त फ्लोचार्ट वर्ष 2014-15 के संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक दर्शाता है।

जैसाकि उपर्युक्त फ्लोचार्ट से स्पष्ट है, 2014-15 के दौरान ₹ 31,142 करोड़ की कुल प्राप्तियां 57 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 37 प्रतिशत की पूंजीगत प्राप्तियों तथा छः प्रतिशत की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का अंश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 40 प्रतिशत, 33 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत था।

(₹ करोड़)



विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां 49 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 20,851 करोड़ से ₹ 31,142 करोड़ हो गईं। वर्ष 2013-14 में ₹ 4,067 करोड़ से ₹ 7,501 करोड़ (184 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हुई वृद्धिकारी ऋण प्राप्तियों (बाजार ऋण, अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष) से प्रेरित पूंजीगत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि से मुख्यतः कुल प्राप्तियों में उत्प्लावकता आई।

उपर्युक्त चार्ट 1.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने काफी एकरूप वृद्धि प्रदर्शित की जबकि गत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत प्राप्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ीं। उधारों (पूंजीगत प्राप्तियाँ) में 184 प्रतिशत की अत्याधिक वृद्धि के कारण राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का अंश वर्ष 2013-14 के 75 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2014-15 में 57 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियां 2010-11 के ₹ 12,711 करोड़ से 40 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 17,843 करोड़ हो गईं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ कर (270 प्रतिशत) 2010-11 में ₹ 3,130 करोड़ से वर्ष 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हुईं। निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 2010-11 के ₹ 1,345 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 711 करोड़ रह गईं तथापि 2010-11 से 2014-15 की पंचवर्षीय अवधि में वृद्धि ₹ 386 करोड़ (29 प्रतिशत) थी।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के बाहर के राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।


अब इन निधियों को बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार ये निधियाँ वर्ष 2013-14 के ₹ 1,671.30 करोड़ से घटकर वर्ष 2014-15 में ₹ 278.55 करोड़ रह गयीं। इन्हें मुख्यतः एन0आई0टी0, हमीरपुर (₹ 60 करोड़) व आई0आई0टी0 मण्डी (₹ 51 करोड़), परिवहन उपदान स्कीम (एच0पी0एस0आई0डी0सी0) (₹ 16.24 करोड़) व अन्य विविध अभिकरणों (₹ 151.31 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था (परिशिष्ट 1.6)।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान ₹ 278.55 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 39,986 करोड़ से बढ़ कर ₹ 40,265 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2010-15 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें चार्ट 1.3 में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़)



- राजस्व प्राप्तियां 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2010-11 में ₹ 12,711 करोड़ से 2014-15 में निरंतर बढ़कर ₹ 17,843 करोड़ हो गई, किन्तु 2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- 2014-15 के दौरान 45 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करें तथा कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 55 प्रतिशत केन्द्रीय करें तथा शुल्कों (15 प्रतिशत) में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (40 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	22.86	14.41	7.25	0.72	13.57
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद(प्रतिशत)	22.31	21.89	20.45	18.30	18.67
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.25	0.87	0.49	0.06	1.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	2.28	0.77	0.85	0.85	1.41

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के 18.24 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 11.35 प्रतिशत हो गई।
- राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2010-11 के 22.86 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2013-14 में 0.72 प्रतिशत रह गयी लेकिन मुख्यतः 2014-15 में बजट के माध्यम से भारत सरकार के केन्द्रीय अन्तरण देने व अपने संसाधनों से राजस्व में 16.14 प्रतिशत वृद्धि से गत वर्ष की तुलना में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि से वर्तमान वर्ष (2014-15) में इसने सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2010-14 के दौरान लगातार 1.25 से 0.06 तक घटती राजस्व उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व सकल राज्य घरेलू उत्पाद की ह्रासोन्मुखी दर के कारण 2014-15 में 1.20 तक बढ़ गई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता जो 2010-11 के 2.28 से घटकर 2011-12 में 0.77 रह गई थी तत्पश्चात् 2014-15 में निरन्तर बढ़कर 1.41 हो गयी।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करें तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करें तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2014-15 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दी गयी हैं।

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़)

	13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत परिवर्तन	
				13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	5,406	5,338	5,940	9.88	11.28
कर भिन्न राजस्व	1,744	1,389	2,081	19.32	49.82

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

⁴ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

वास्तविक कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से क्रमशः 9.88 प्रतिशत तथा 19.32 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2014-15 के बजट आकलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों ही 11.28 तथा 49.82 प्रतिशत अधिक थे। यह भी इंगित है कि कर-भिन्न राजस्व सम्बन्धी एम0टी0एफ0पी0एस0 प्रक्षेप अधोगामी थे।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,101 (41)	2,477 (18)	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)
राज्य आबकारी	562 (12)	707 (26)	810 (15)	952 (18)	1,044(10)
वाहन कर	163 (22)	176 (8)	196 (11)	208 (6)	220 (6)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	133 (18)	155 (17)	173 (12)	188 (9)	190(1)
विद्युत कर एवं शुल्क	302(241)	185(-39)	262(42)	191(27)	333 (74)
भू-राजस्व	5 (- 67)	18 (260)	24 (33)	10 (-58)	17(70)
माल तथा यात्री कर	93 (4)	94 (1)	101 (7)	105 (4)	110(5)
अन्य कर	284 (44)	296 (4)	332 (12)	326 (-2)	365(12)
योग	3,643 (42)	4,108 (13)	4,626(13)	5,121 (11)	5,940 (16)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

कर राजस्व 2010-15 के दौरान ₹ 2,297 करोड़ (63 प्रतिशत) बढ़ गया और गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 819 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ा। मुख्यतः (क) वैट के अन्तर्गत कर संग्रहण में वृद्धि के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 520 करोड़ (17 प्रतिशत); (ख) मुख्यतः नए पावर प्रोजेक्टों से मुफ्त विद्युत अंश की प्राप्ति के कारण राज्य आबकारी में ₹ 92 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा (ग) विद्युत कर एवं शुल्क में ₹ 142 करोड़ (74 प्रतिशत) की वृद्धि से कर राजस्व में सभी मुख्य करों एवं शुल्कों में वृद्धि दर्ज की गयी।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज प्राप्तियां	70 (-9)	115 (64)	70 (-39)	119 (70)	101(-15)
लाभांश तथा लाभ	64 (-14)	86 (34)	100 (16)	103 (3)	171(66)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें से	1,561 (-4)	1,714 (10)	1,207 (-30)	1,563 (29)	1,809(16)
विविध सामान्य सेवाएं	2 (50)	40 (1900)	9(-78)	6(-33)	3(-50)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	82 (-2)	104(27)	112(8)	157(40)	161(3)
वानिकी तथा वन्य जीवन	65 (-10)	107(65)	64(-40)	358(459)	116(-68)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	31 (82)	26(-16)	46(77)	26(-43)	36(38)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	114(34)	120(5)	148(23)	111(-25)	162(46)
विद्युत	1,093(-10)	1,146(5)	637(-44)	696(9)	1,122(61)
अन्य	174 (9)	171(-2)	191(12)	209(9)	209(-)
योग	1,695 (-5)	1,915 (13)	1,377 (-28)	1,785 (30)	2,081(-17)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में ₹ 296 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गया। 2014-15 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों ने 16 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई। कर-भिन्न राजस्व में वृद्धि मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में ₹ 426 करोड़ (61 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग में ₹ 51 करोड़ (46 प्रतिशत) व लाभांश एवं लाभ में ₹ 68 करोड़ (66 प्रतिशत) के अन्तर्गत थी जो वानिकी एवं वन्य जीवन में ₹ 242 करोड़ (68 प्रतिशत) तथा व्याज प्राप्तियों में ₹ 18 करोड़ (15 प्रतिशत) के हास से प्रतिसंतुलित हुई।

1.3.1.3 संग्रहण लागत

2014-15 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर के संग्रहण पर व्यय ₹ 2.98 करोड़, राज्य आबकारी पर ₹ 3.91 करोड़, माल तथा यात्री कर पर व्यय ₹ 33.98 करोड़, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस पर ₹ 1.69 करोड़, वाहन कर ₹ 2.97 करोड़ तथा विद्युत पर व्यय ₹ 1.82 करोड़ था। राजस्व के सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः 0.08, 0.37, 30.88, 0.89, 1.35 तथा 0.55 था। माल व यात्री कर (30.88) में संग्रहण प्रभारों की प्रतिशतता राजस्व के अन्य शीर्षों की तुलना में अधिक थी।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 1.9: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर-योजना अनुदान	2,634	2,647	2,526	2,025	1,199
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	2,680	3,342	4,179	3,765	4,333
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1	27	28	17	31
केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	343	505	580	507	1,615
योग	5,658	6,521	7,313	6,314	7,178
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	10.36	15.25	12.15	(-)13.66	13.68
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	45	45	47	40	40

2010-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 5,658 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7,313 करोड़ (तालिका 1.9) हो गए किन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ हो गए जो कि मुख्यतः तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में ₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदानों में ₹ 414 करोड़ की कमी के कारण हुआ था। चालू वर्ष (2014-15) के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 864 करोड़ बढ़ गए जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 2010-15 की अवधि के दौरान इसकी राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिशतता 40 तथा 47 प्रतिशत के मध्य थी। 2014-15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों, राज्य एवं केन्द्रीय योजना स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान क्रमशः 17, 60 तथा 23 प्रतिशत था।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण 2013-14 के ₹ 2,491 करोड़ से ₹ 153 करोड़ (छ:प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 2,644 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10: वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़)

कर	तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2013-14 के वास्तविक आँकड़े	2014-15 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	केन्द्रीय करों की शेर करने योग्य राशि का 32 प्रतिशत राज्यों को	837.99	923.41	85.42
आय कर		551.79	659.41	107.62
सम्पत्ति कर		2.30	2.50	0.20
सीमा शुल्क		406.54	427.66	21.12
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		287.13	241.48	(-) 45.65
सेवा कर		405.77	389.69	(-) 16.08
आय व व्यय पर अन्य कर		-	0.02	0.02
योग			2,491.52	2,644.17

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूंजीगत प्राप्तियां	3,130	2,009	3,392	4,067	11,568
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.99	(-) 35.81	68.84	19.89	184.44
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	646	-	-	-	650
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	73	25	21	17	41
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (केवल ऋण व अग्रिम)	114.71	(-) 65.75	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18
लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	1,984	3,371	4,050	10,877
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 5.56	(-) 17.71	69.91	20.14	168.57

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां 2010-11 में ₹ 3,130 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 11,568 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान विगत वर्ष (2013-14) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों में 184 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹ 7,501 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2014-15 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली ₹ 24 करोड़ बढ़ गई, जबकि लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 6,827 करोड़ (168.57 प्रतिशत) बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों के ब्यौरे अनुवर्ती पैरों में विवेचित किए गए हैं।

1.4.1 विनिवेश से लाभ

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 650 करोड़ की विविध पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत विनिवेश से प्राप्त शुद्ध लाभ थीं।

1.4.2 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्री उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगमों, आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2015 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 2,346 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने केवल 2013-14 के दौरान ₹ 17 करोड़ तथा 2014-15

के दौरान ₹ 41 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 65 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2010-11 से 2014-15 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे। तालिका 1.12 से स्पष्ट है कि आन्तरिक ऋण के रूप में ₹ 10,752 करोड़ प्राप्त किए गए जो कि गत वर्ष से ₹ 6,761 करोड़ (169 प्रतिशत) अधिक थे। इसमें से ऋण दायित्व हेतु ₹ 8,193 करोड़ की चुकौती की गई।

तालिका 1.12: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बाजार ऋण	645(27)	1,325 (70)	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	761 (32)	279(14)	471(15)	617(15)	1,102 (10)
अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	-	-	-	629(16)	6,860 (64)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	300(13)	300(16)	400(12)	350(9)	400(4)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	666(28)	--	9(--)	28(1)	45(--)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	2,372	1,904	3,239	3,991	10,752
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	808	1,034	2,056	1,639	8,193

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

विगत पाँच वर्षों में आन्तरिक ऋण के मुख्य घटक बाजार ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे। वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की अपेक्षा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से ऋणों की राशि ₹ 485 करोड़ (79 प्रतिशत) बढ़ गयी। आन्तरिक ऋण प्राप्ति में बेतहाशा वृद्धि वर्ष के दौरान लिए गए अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न हुई। वर्ष 2013-14 में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के माध्यम से ₹ 629 करोड़ का उधार लिया गया। वर्ष 2014-15 में यह 10 गुना से भी अधिक बढ़कर ₹ 6,860 करोड़ हो गया।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.13 में दी गई है।

तालिका 1.13: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अथ शेष	984	961	947	1,018	1,012
वर्ष के दौरान जोड़	39	80	132	59	125
वर्ष के दौरान निस्तारण	62	94	61	65	67
अंत शेष	961	947	1,018	1,012	1,070
कुल व्यय की प्रतिशतता	6	6	5	5	5

वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 125.31 करोड़ राज्य योजनागत स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिम के रूप में दिए।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत, जमाओं, आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.14 में दी गयी है।

तालिका 1.14: 2013-14 और 2014-15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्ति आधिक्य	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	2,772	3,153	1,886	1,968	886	1,185
आरक्षित निधि	153	161	151	159	02	02
जमा तथा अग्रिम	1,973	2,222	1,766	1,718	207	504
उचंत तथा विविध	499	487	498	459	01	28
प्रेषण	4,903	4552	4,926	4,540	(-)23	12
कुल	10,300	10,575	9,227	8,844	1,073	1,731

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2013-14 के ₹ 1,073 करोड़ से ₹ 658 करोड़ बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,731 करोड़ हो गयीं। विगत वर्ष की तुलना में 2014-15 में लघु बचतों, भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत निवल लोक लेखा प्राप्तियां ₹ 299 करोड़ बढ़ गयीं, जबकि इसी अवधि के दौरान जमा तथा अग्रिम ₹ 297 करोड़ बढ़े।


1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.4 विगत पांच वर्षों (2010-15) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः **चार्ट 1.5** तथा **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संघटन (2010-15) (₹ करोड़)





➤ **राज्य का कुल व्यय** 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2010-11 में ₹ 15,962 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 22,734 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 2,995 करोड़ (15 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 2,435 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 617 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 57 करोड़ घट गए।

➤ **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 2,435 करोड़ (14.03 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-15 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (86 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान यह कुल व्यय का 87 प्रतिशत रहा। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 557 करोड़ (8 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 745 करोड़ (11 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 1,133 करोड़ (32 प्रतिशत) थी। समग्र वृद्धि सामान्य शिक्षा (₹ 526 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 368 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 236 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी।

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 817 करोड़ (34 प्रतिशत) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 11 से 16 प्रतिशत का अंशदान किया। आयोजनेतर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ₹ 1,618 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया और 2010-15 के वर्षों के दौरान उसका 83 से 88 प्रतिशत का प्रभावी अंश रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय में 2010-15 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के 84 से 97 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात (परिशिष्ट 1.3) की प्रयुक्ति हुई। 2014-15 में यह 93 प्रतिशत था जिससे द्योतित हुआ कि औसतन 92 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ आयोजनेतर राजस्व व्यय की पूर्ति में खप गईं। आयोजनेतर राजस्व व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 10,621 करोड़) को भी पार कर 56 प्रतिशत बढ़ गया।

चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18.67 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय उसका 20.70 प्रतिशत रहा। राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,944 करोड़ था जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.03 प्रतिशत था।

- **पूँजीगत व्यय:** पूँजीगत व्यय 2010-13 के वर्षों में ₹ 1,789 करोड़ से ₹ 166 करोड़ बढ़कर ₹ 1,955 करोड़ हो गया लेकिन 2013-14 में ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह ₹ 617 करोड़ (33 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 2,473 करोड़ हो गया। शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 131 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 310 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 308 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 506 करोड़) तथा परिवहन (₹ 893 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2014-15 के दौरान पूँजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूँजीगत व्यय का शेयर 2013-14 के 9.40 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 10.88 प्रतिशत हो गया।
- **ऋण तथा अग्रिम:** 2014-15 में कुल व्यय का ₹ 474 करोड़ (दो प्रतिशत) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 57 करोड़ घट गया।



व्यय के इन संघटनों के सापेक्ष शेयर ने इंगित किया कि व्यय के मुख्य संघटकों में अंतः वर्षीय भिन्नताएं थीं। सामान्य सेवाओं (ब्याज अदायगियों सहित) पर व्यय जिसे गैर-विकासात्मक माना जाता है 2010-11 में 33.53 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.11 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2014-15 में घटकर 33.81 प्रतिशत रह गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्य रूप से ब्याज अदायगियों (37 प्रतिशत)

और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (38 प्रतिशत) पर था। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों पर विकासात्मक व्यय⁵ 2013-14 के 61.15 प्रतिशत के प्रति 2014-15 में 64.07 प्रतिशत था।

1.6.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट था। जैसे तालिका 1.15 से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,634 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि थी। 2010-15 के वर्षों में इसका राजस्व व्यय के क्रमशः 75, 79, 80, 77 व 76 प्रतिशत का महत्वपूर्ण शेर था। चार्ट 1.7 वर्ष 2010-15 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक


(₹ करोड़)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें से	5,951 (47)	6,215 (43)	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418* (47)
आयोजनेतर शीर्ष	5,784	5,981	6,999	7,289	8,159
योजनागत शीर्ष	167	234	256	256	259
ब्याज भुगतान	1,950 (15)	2,130 (15)	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)
पेंशन	2,105 (17)	2,217 (15)	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)
उपदान	439 (4)	465 (3)	567 (4)	467 (3)	801 (4)
योग	10,445	11,027	12,939	13,348	14,982
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	75	79	80	77	76

* वेतन: ₹ 8,195 करोड़; मजदूरी: ₹ 223 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

(₹ करोड़)



⁵ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

वेतन एवं मजदूरी

2014-15 के दौरान वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत से भी अधिक था। वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 7,647 करोड़) के प्रक्षेपों से ₹ 548 करोड़ बढ़ गया जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2010-11 में ₹ 2,105 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 2,914 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 59 करोड़ (दो प्रतिशत) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 2,116 करोड़) से ₹ 798 करोड़ (38 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 2010-11 में ₹ 1,950 करोड़ से 2014-15 में ₹ 2,849 करोड़ तक 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 368 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 2,378 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2,750 करोड़) से क्रमशः 20 व चार प्रतिशत बढ़ गए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधार के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2010-11 में ₹ 439 करोड़ से 2012-13 में ₹ 567 करोड़ तक 29 प्रतिशत बढ़ गए और 2013-14 के दौरान ₹ 100 करोड़ तक घट गए। 2014-15 में उपदान ₹ 334 करोड़ बढ़ गए जो कि राजस्व प्राप्तियों का लगभग चार प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक उद्यान (₹ 70 करोड़); परिवहन (₹ 135 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 330 करोड़) थे।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.16 में दी गई है।

तालिका 1.16: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण (₹ करोड़)

क्रमांक	संस्था का नाम	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	311.25 (35)	314.89 (1)	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03(33)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	92.26 (-20)	122.94 (33)	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	256.28 (18)	263.95(3)	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37(129)
4.	विकास अभिकरण	52.14 (7)	46.72(-10)	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52(-4)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	48.11 (17)	69.70 (45)	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)
6.	अन्य संस्थाएं	89.35 (41)	162.89 (82)	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)
	योग	849.39(18)	981.09 (16)	1,203.11 (23)	1,437.88 (20)	2,156.18 (50)
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6.09	7.06	7.43	8.28	10.90

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़े कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2010-15 की अवधि में दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2014-15) के दौरान ₹ 718.30 करोड़ (49.96 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः पंचायती

राज संस्थाओं (₹ 456.83 करोड़) (129 प्रतिशत), विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 149.48 करोड़) (33 प्रतिशत), अस्पतालों व अन्य दातव्य संस्थाओं (₹ 121.61 करोड़) (129 प्रतिशत) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

निधि प्रवाह: शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत, अभिरक्षण एवं निधि प्रयोज्यता

संसाधन आधार में राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, अनुरक्षण/विकास प्रयोजनों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य और केन्द्रीय सरकारें समाविष्ट हैं। विभिन्न स्रोतों से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं। यह पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित निधियाँ उनके कार्यदायी अभिकरणों द्वारा वास्तविक प्रयुक्ति के बिना ही व्ययित प्रदर्शित की जा रही है। इन निकायों द्वारा किए गए व्यय के वास्तविक आँकड़े विभाग के पास नहीं थे।

वर्ष 2014-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों ने विभिन्न स्रोतों से ₹ 221.11 करोड़ की निधि/अनुदान प्राप्त किए और राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग निदेशालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित ये सभी निधियाँ व्ययस्वरूप प्रदर्शित की गईं। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त ₹ 840.05 करोड़ में से कार्यदायी अभिकरणों को अवमुक्त ₹ 809.63 करोड़ भी व्ययित दर्शाए गए हैं।

कुल 3,332 पंचायती राज संस्थाओं और 50 शहरी स्थानीय निकायों में से वर्ष के दौरान क्रमशः 100 व 14 की लेखापरीक्षा की गयी। 2014-15 के दौरान संचालित शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा में निम्नोक्त व्यवस्थागत कमियाँ पायी गयीं:

(क) बैंक समाधान विवरणियाँ तैयार न करना

शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की नियमावली में उपबन्ध है कि सामान्य रोकड़ बही की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन मदवार जाँच की जाएगी, उसका संवरण किया जाएगा और वह हस्ताक्षरित होगी। रोकड़ बही और बैंक की पास बुक के शेषों के अन्तर का प्रत्येक माह समाधान किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 9.35 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 1.54 करोड़ तथा पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 7.81 करोड़) का समाधान जनवरी-मार्च 2015 तक नहीं किया गया था। इस प्रकार बैंक समाधान विवरणी के अभाव में इन शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने बताया कि शीघ्र ही अन्तर का समाधान कर दिया जाएगा। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि नियमावली के उपबन्धों की अनुपालना कड़ाई से की जानी चाहिए थी।

(ख) रजिस्ट्रों का रखरखाव न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में नियत है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्वपूर्ण अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र आदि का रखरखाव करेगी जैसे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 में विवरण दिया गया है।

यह पाया गया कि 2014-15 के दौरान नमूना जांच की गई 35 ग्राम पंचायतों में स्टॉक रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, मस्टर रोल रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। अभिलेखों का रखरखाव न किए जाने के कारण वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बन्धित पंचायत सचिवों ने तथ्य स्वीकार किए (जून 2014-मार्च 2015) व भविष्य में इन अभिलेखों के रखरखाव का आश्वासन दिया तथापि तथ्य यह है कि सम्बद्ध पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव पर समुचित निगरानी का अभाव था।

(ग) परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73 (i) के अन्तर्गत छः मास में कम से कम एक बार व प्रत्येक वर्ष अपरिवर्तनीय रूप से अप्रैल में ग्राम पंचायत प्रधान व पंचायती समिति या जिला परिषद् के सम्बन्धित सचिव द्वारा यथास्थिति सभी भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन के परिणाम लिखित रूप से दर्ज किए जाएंगे। अप्रैल में सत्यापन के समय प्रत्येक सामग्री की अवस्था/दशा स्टॉक रजिस्टर में उस सामग्री के सम्मुख अंकित की जाएगी।

16 पंचायती राज संस्थाओं (एक जिला परिषद्, दो पंचायत समितियां, 13 ग्राम पंचायतें) के अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि भण्डार/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके अभाव में यह निश्चित नहीं हो पाया कि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्रत्येक सामग्री भैतिकरूपेण विद्यमान है या नहीं। उत्तरस्वरूप सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2014-मार्च 2015) कि शीघ्र ही भण्डारों/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया जाएगा।

(घ) ₹ 7.57 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना

अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 में गृह कर: ₹ 4.98 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 4.79 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.19 करोड़); 2005-06 से 2014-15 की अवधि में दुकानों का किराया: ₹ 2.05 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 1.86 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.19 करोड़); 2012-14 की अवधि में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभार: ₹ 0.25 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 0.18 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.07 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत उपकरण की वसूली न होने (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 0.29 करोड़) के कारण ₹ 7.57 करोड़ (शहरी स्थानीय निकाय: ₹ 7.12 करोड़ व पंचायती राज संस्थाएं: ₹ 0.45 करोड़) की राशि बकाया पड़ी थी/वसूल नहीं हुई थी। इससे द्योतित होता है कि शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने राजस्व संग्रहण प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जिससे उनकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और वे राज्य वित्त पर अधिकाधिक आश्रित हो जाएंगे। सम्बद्ध शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं ने बताया कि बकाया राजस्व की वसूली हेतु आवश्यक प्रयास किए जाएंगे/कदम उठाए जाएंगे। ये उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि राजस्व की वसूली हेतु समय पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

तालिका 1.17 (क) वर्ष 2011-12 व चालू वर्ष 2014-15 में विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17 (क): 2011-12 व 2014-15 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./ स.रा.घ.उ.	वि.व./ स.व.	सा.क्षे.व/ स.व.	आ.क्षे.व/ स.व.	प.व./ स.व.	शि./ स.व.	स्वा./ स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	26.39	61.26	37.02	28.37	14.02	18.86	5.40
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	24.38	64.32	34.10	30.21	11.17	19.10	5.10
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	उपलब्ध नहीं	63.51	38.14	28.89	14.22	19.31	5.49
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2014-15	23.78	66.15	35.08	31.07	10.88	18.81	5.71

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, प.व.: पूंजीगत व्यय, शि.: शिक्षा, स्वा.: स्वास्थ्य

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।

स्रोत: असम, हि0प्र0, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा व उत्तराखण्ड जैसे 11 विशेष श्रेणी राज्यों में से 9 विशेष श्रेणी राज्यों पर आधारित

राजकोषीय प्राथमिकता से तात्पर्य राज्य द्वारा किसी विशेष श्रेणी के व्यय को दी गई प्राथमिकता है। 2014-15 व 2011-12 के व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि:

- 2011-12 के 24.38 की तुलना में 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात में सरकार का सकल व्यय 23.78 है जो कि थोड़ा कम अर्थात् 0.6 प्रतिशत तक कम है।
- विकास व्यय में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र दोनों के ही व्यय निहित है। हि0प्र0 में सकल व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकास व्यय 66.15 है जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के 63.51 से अधिक है और वांछनीय है।
- राज्य में सकल व्यय के समानुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 व 2014-15 में क्रमशः 2.92 व 3.06 प्रतिशत से कम था।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुपात 2011-12 में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था लेकिन 2014-15 में थोड़ा अधिक था।
- राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2014-15 में 10.88 है जो कि विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावोत्पादकता

तालिका 1.17 (ख) के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 575 करोड़ (13 प्रतिशत) एवं ₹ 163 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 159 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 107 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2014-15 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमशः 0.02 तथा 0.08 रहा जो कि खेद का विषय है।

तालिका 1.17 (ख): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2013-14	19,739	सामाजिक सेवाएं	6,706	478	0.02	4,307	585
		आर्थिक सेवाएं	3,590	1,297	0.07	1,843	1,059
2014-15	22,734	सामाजिक सेवाएं	7,451	522	0.02	4,882	744
		आर्थिक सेवाएं	4,723	1,868	0.08	2,006	1,166

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से वाऊचर स्तर कम्प्यूटरीकरण

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2015 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.18 में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2015 तक पूर्ण हो चुकी थी, अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2015 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	10	58.84	76.18	83.05
भवन एवं सड़कें (लोक निर्माण कार्य)	03	62.03	--	58.22
योग	13	120.87		141.27

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल सात परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 41.61 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2015 के मध्य पूरी की जानी थीं। विलम्ब विश्लेषणों से 10 वर्षों तक की समय वृद्धि का पता चला। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 8 स्कीमों का 75 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था। शेष के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की दो स्कीमों⁶ का कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन वर्ष 2014-15 के अंत तक मात्र 38 से 43 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था।

⁶ सिवरेज स्कीम, मेहतपुर तथा सन्तोखगढ़

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2015 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 2,732 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.19 (क))। निवेश पर औसत प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2010-15 के दौरान अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	औसत 2010-15
वर्षांत में निवेश	2,864	2,448	2,767	3,025	2,732	--
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	64.11	85.65	100.09	103.42	171.00	--
प्रतिफल (प्रतिशत)	2.24	3.50	3.62	3.42	6.26	3.81
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.78	7.80	8.08	7.71	7.91	7.86
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	5.54	4.30	4.46	4.29	1.65	4.05

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2013-14 की तुलना में सरकारी निवेश 2014-15 में 9.69 प्रतिशत घटे लेकिन निवेशों के प्रतिफल 2010-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2010-11 में ₹ 64.11 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये। इसमें मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था जिसने विगत पांच वर्षों (2010-15) में लगातार 99 प्रतिशत अंशदान दिया। सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 1,738.63 करोड़), हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 847.67 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 145 करोड़), हिमाचल प्रदेश एग्री इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया सीमित (₹ 78.23 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 70.36 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 44.94 करोड़) थे।

1.8.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति निर्मित की थी (अगस्त 1982) जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर तीन प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रमों (619-ख की कम्पनियों सहित) में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 1,897.86 करोड़ थी।

तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील कम्पनियां (संख्या)	अकार्यशील कम्पनियां (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	1,262.23 (17)	16.75 (2) ⁷	618.88 (2)	1,897.86 (21)

⁷ दो कम्पनियों (एग्री पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्ल लिमिटेड) में से हिमाचल वर्स्टेड मिल्ल लिमिटेड कम्पनी परिसमापनाधीन थी।

31 मई 2015 तक नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार सात कम्पनियों ने ₹ 14.30 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 12 कंपनियों में ₹ 480.48 करोड़ की हानि हुई। एक⁸ कार्यशील सरकारी कम्पनी ने अपने लाभ एवं हानि के लेख तैयार नहीं किये हैं जबकि एक कार्यशील सरकारी कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के सम्बंध में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के योग्य था। लाभ अर्जित करने वाली सात कम्पनियों में से चार कम्पनियों⁹ से इक्विटी पर प्रतिफल की अदायगी अपेक्षित नहीं थी क्योंकि ये कम्पनियां कल्याणकारी व यूटिलिटी सेक्टर की कम्पनियां थी, दो कम्पनियों¹⁰ (प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 10.76 करोड़) ने कोई भी प्रतिफल/लाभांश की अदायगी नहीं की थी और मात्र एक कम्पनी (हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित) ने राज्य सरकार को ₹ 3.51 करोड़ के इक्विटी के 10 प्रतिशत की दर पर ₹ 0.35 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया था।

अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2014 तक निवेशित ₹ 1,897.86 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 0.35 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2015 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹ 1,897.86 करोड़ की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 0.02 प्रतिशत था।

1.8.2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2015 तक आरम्भ की गई 16 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से सात सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और नौ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2015 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अथशेष	329	483	951	1,399	1,913
वर्ष के दौरान दी गई राशि	227	493	469	531	474
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	73	25	21	17	41
अंत शेष	483	951	1,399	1,913	2,346
निवल वृद्धि	154	468	448	514	433
ब्याज प्राप्तियां	11	21	14	15	65
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.28	2.21	1.19	0.78	2.77
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.22	8.06	8.39	8.15	8.41
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.94	(-) 5.85	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64

स्रोत: वित्त लेखे

⁸ ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित

⁹ हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हि0प्र0 राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित व हि0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

¹⁰ हि0प्र0 राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित व हि0प्र0 सामान्य उद्योग निगम सीमित

31 मार्च 2015 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 2,346 करोड़ थी। अग्रिम दिए गए ₹ 474 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 41 करोड़ लौटाए गए, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 24 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। विगत वर्ष की तुलना में सरकार ने 2014-15 के दौरान संस्थाओं/संगठनों को ₹ 57 करोड़ (11 प्रतिशत) कम दिए। 2014-15 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत क्षेत्र कम्पनियों (₹ 404.11 करोड़) थीं। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। 2012-13 के दौरान कमी 7.20 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 7.37 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान यह 1.73 प्रतिशत अंक घटकर 5.64 प्रतिशत रही। 2014-15 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 2.77 प्रतिशत प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसत 8.41 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2014-15 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.21 में दी गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़)

ऋणी-इकाइयाँ	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग	1	2.00	ब्याज मुक्त	--
साख निगम (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	2	20.29	12.5 प्रतिशत	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ	1	24.00	12.5 प्रतिशत	--
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	17	304.36	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	10	99.75	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	3	16.53	--	--
सरकारी कर्मचारी	--	7.27	--	--
योग:-	34	474.19		

स्रोत: वित्त लेखे

₹ 474.19 करोड़ में से ₹ 2.00 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 44.29 करोड़ के ऋण 12.5 प्रतिशत की दर पर तथा ₹ 404.11 करोड़ के ऋण 10 प्रतिशत की दर पर प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 7.27 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए। राज्य सरकार की ऋण स्थगन अवधि तीन से पांच वर्षों के मध्य थी।

1.8.3.1 शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/देना

2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान शर्तों एवं निबंधनों को अंतिम रूप दिये बिना ₹ 26.57 करोड़ की राशि ऋण रूप में स्वीकृत की गई थी। ब्यौरे तालिका 1.22 में दिये गए हैं।

तालिका 1.22: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण जिनके लिए शर्तें एवं निबंधनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है

(₹ करोड़)

क्रमांक	ऋणी-इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि	आरंभिक अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है
1.	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम	1	2.54	2013-14
2.	नगर निगम शिमला	1	2.00	2008-09
3.	हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित	1	0.50	2006-07
4.	प्रधान सचिव, बहु-उद्देशीय परियोजना एवं विद्युत, हिमाचल प्रदेश	2	5.00	2008-09
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	3	16.53	2014-15
	योग	8	26.57	

31 मार्च 2014 में समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह सूचित किए जाने पर अवलोकित हुआ कि राज्य सरकार ने ऋणग्राहियों/समूहों को नए ऋण व अग्रिम देना जारी रखा। वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने शर्तों एवं निबन्धनों को अन्तिम रूप दिए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम को ₹ 16.53 करोड़ के नए ऋण दे दिए।

1.8.3.2 ऋणों की वसूली में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न ऋणग्राहियों/समूहों को दिए गए 26 ऋणों व अग्रिमों के सम्बन्ध में ₹ 79.86 करोड़ के ऋणों की वसूली का उल्लेख 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 1.8.3.2 में किया गया था।

इस विषय में सूचित किए जाने पर भी यह देखा गया कि ये ऋण व अग्रिम अभी भी लम्बित थे और 2014-15 वर्ष के दौरान भी इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। ये वसूलियां वर्ष 1987-88 से 2010-11 से नहीं की गईं। परिशिष्ट 1.8 के अनुसार ऋणों के वसूल न होने की अवधि 4 से 28 वर्ष तक थी।

1.8.3.3 रुग्ण/अकार्यशील कम्पनियां

रुग्ण/अकार्यशील कम्पनियों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैरा 1.8.2.1 में उल्लेख किया गया था। पुनः यह उल्लिखित है कि ऐग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (ए.आई.पी.आई.एल.) कम्पनी के नवीनतम अन्तिम रूप प्रदत्त वर्ष 2013-14 के लेखाओं के अनुसार उसे इस वित्त वर्ष में ₹ 0.04 करोड़ की हानि हुई और उसकी संचित हानियां ₹ 78.24 करोड़ थीं। कम्पनी का नकारात्मक निवल मूल्य ₹ 60.52 करोड़ था।

संयन्त्र व मशीनरी के निपटारे के पश्चात् राज्य सरकार ने ए0आई0पी0आई0एल0 को निष्प्रभावी कम्पनी घोषित कर दिया (अप्रैल 2012) तथा प्रबन्धन से कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार इस निर्णय को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जिसके लिए प्रकरण कम्पनी, राज्य सरकार व कम्पनी रजिस्ट्रार के विचाराधीन था। प्रबन्धन ने अभी (मई 2015) तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.23 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.23: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़)

विवरण	1 अप्रैल 2014 तक	31 मार्च 2015 तक	वृद्धि (+) / कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	-	-	-
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	-	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 887.49	(-) 739.51	147.98
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	-	-	-
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	-
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	-
योग (क+ख)	(-) 887.30	(-) 739.32	147.98
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	-	-	-
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	5,772.09	6,675.64	903.55
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा			
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	24.28	9.90	(-) 14.38

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 11.11.2013 से ₹ 285 करोड़ थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हो चुका है।

वित्त लेखे की विवरण संख्या 2 का अनुबंध व 17 के अनुसार वर्ष 2013-14 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों पर ₹ 456.09 करोड़ लम्बित थे। वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार 240 दिन तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। उसे भारतीय रिजर्व बैंक से 77 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम (₹ 4,192.80 करोड़) व 48 अवसरों पर अधिविकर्ष (₹ 2,667.50 करोड़) लेने पड़े। इसमें से ₹ 533.77 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान ₹ 6,782.62 करोड़ की चुकौती कर ली गयी थी। वर्ष 2014-15 के दौरान इन गिरावटों/अधिविकर्षों पर ₹ 14.80 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2013-14 में ₹ (-) 887.30 करोड़ से ₹ 147.98 करोड़ बढ़कर 2014-15 में ₹ (-) 739.32 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में ब्याज आय ₹ 14.38 करोड़ घट गयी।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2015 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2014 को उनकी तदनुरूपी स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2014-15 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,404.51 करोड़ (10.25 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि दायित्व ₹ 4,348.11 करोड़ (12.65 प्रतिशत) बढ़ गए। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2011-12 के 70 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 67 प्रतिशत हो गया जो कि 2013-14 में 68 प्रतिशत था।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं



राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति 2010-11 से 2014-15 तक के पांच वर्षों के लिए **परिशिष्ट 1.3** व **तालिका 1.24** में प्रस्तुत है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **चार्ट 1.8** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.24: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़)	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.39	6.86	7.84	11.31	12.71
का राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	207.81	194.10	195.17	215.67	214.04
अपने संसाधन (प्रतिशत)	494.85	468.67	507.11	490.65	476.15
का राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.62	0.41	0.53	0.90	1.12
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.50	0.48	1.08	15.71	0.94
अपने संसाधन (अनुपात)	0.51	0.53	(-) 23.76	0.75	0.79

*आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2010-11 में ₹ 26,415 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 38,192 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 25,729 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 15,196 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,071 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 9,462 करोड़), जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 6,676 करोड़ समाविष्ट हैं।



लोक लेखा देयताओं (₹ 12,463 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 9,922 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,313 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 228 करोड़) समाविष्ट हैं।

2014-15 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 13 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2010-11 में 46.36 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2013-14 में 39.47 प्रतिशत हो गया लेकिन 2014-15 में मामूली रूप से बढ़कर 39.96 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2014-15 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 2.14 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 4.76 गुणा थी।

2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 1.12 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक होने का सूचक है।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे बकाया दायित्वों के ऋण शोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासी एक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करें ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुका सकें। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने एक समेकित ऋण शोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2015 को हि0प्र0 सरकार के बकाया दायित्व ₹ 38,192 करोड़ थे। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2014-15 में इस निधि में देयता ₹ 191 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) हुई होती।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2015 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 228.48 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 8.95 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 219.53 करोड़ (जमा) था। प्रचालित किये जा रहे मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/आरक्षित निधि नवीकरण (₹ 0.01 करोड़) तथा 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 8.94 करोड़) थे। ब्याजरहित आरक्षित निधियों के लिए 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि (₹ 1.53 करोड़), 8229-विकास एवं कल्याण निधि (₹ 217.91 करोड़) तथा 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 0.09 करोड़) लेखा शीर्ष प्रचालित किये गये थे जिससे राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अल्प अवमुक्ति व अनिवेश

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया है ताकि दैवीय आपदाओं के प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान की जा सके तथा इस निधि के प्रशासनार्थ कुछ दिशा-निर्देश निर्गत किए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकार को 90:10 के अनुपात में अंशदान करना होता है। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाती है। दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत से सम्बन्धित लघु शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा से प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि आवश्यक पुस्तांकित समायोजन करे ताकि निधि को व्यय के वर्ष में ही प्रयुक्त किया जा सके।

2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 147.06 करोड़ (₹ चार करोड़ क्षमता निर्माण हेतु और ₹ 143.06 करोड़ राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केन्द्रीय सरकार के 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में) प्राप्त किए। ₹ 15.89 करोड़ के इसके अपने भाग के प्रति राज्य सरकार ने ₹ 11.87 करोड़ अवमुक्त किए। ₹ 167.98 करोड़ के संग्रह के प्रति राज्य सरकार ने 31 मार्च 2015 तक निधि में पड़े ₹ 8.94 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में व्यय के प्रति ₹ 159.04 करोड़ समायोजित किए जोकि निवेशित नहीं किए गए थे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निहित मुख्य शीर्ष 8121-के अंतर्गत लोक लेखा 'ब्याज वाली आरक्षित निधि' वर्ग से सम्बंधित है और राज्य सरकार से अनिवेशित शेष पर ₹ 0.72 करोड़ ब्याज (अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू आठ प्रतिशत पर आकलित) अदायगी अपेक्षित थी, जोकि नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि के राजस्व व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई।

1.9.3.2 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

इन निधियों के सम्बन्ध में राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेख था कि दो आरक्षित निधियां अर्थात् मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां (₹ 1.53 करोड़) वर्ष 1971 से अप्रचालित रहीं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने इन निधियों के प्रचालनार्थ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां¹¹ आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरण-20 के अनुसार विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका-1.25 में दी गई हैं।

तालिका 1.25: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़)

गारंटियां	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गारंटियों की बकाया राशि	3,910	3,316	3,353	4,333	4,281
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	38	26	23	28	27

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 4,281 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 2,455 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 1,462 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 115 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 212 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 32 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। ₹ 0.01 करोड़ की राशि गारंटी फीस/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान कंफर्ट पत्र जारी करने के सम्बंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी।

प्रदत्त गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए सरकार से तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत विगत वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया देयताओं की 0.50 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान सहित गारंटी विमोचन निधि स्थापित की जानी अपेक्षित थी तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक राजस्व तथा राजकोषीय घाटा ₹ 21.66 करोड़ तक कम बताया गया था।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटे को राज्य द्वारा सामान्यतः उधारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। लोक ऋण प्राप्तियां 2011-14 के दौरान ₹ 1,984 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,050 करोड़ हो गई तथा वर्तमान वर्ष में ₹ 6,827 करोड़ बढ़कर ₹ 4,050 करोड़ से ₹ 10,877 करोड़ हो गयी। लोक ऋण चुकौती 2010-11 में ₹ 870 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2,117 करोड़ हो गई लेकिन 2013-14 में ₹ 413 करोड़ घटकर ₹ 1,704 करोड़ हो गई। 2014-15 में यह महत्वपूर्ण रूप से ₹ 6,556 करोड़ बढ़कर गत वर्ष के

¹¹ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

₹ 1,704 करोड़ से ₹ 8,260 करोड़ हो गयी। राज्य को 2014-15 के दौरान ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा व ₹ 4,200 करोड़ का राजकोषीय घाटा वहन करना पड़ा, जिसे चालू वर्ष के दौरान ₹ 10,877 करोड़ का लोक ऋण उठाकर वित्तपोषित किया गया।

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.26: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़)

क्रमांक	ज्यौरे	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	आन्तरिक ऋण	17,694 (95)	18,564 (95)	19,747 (95)	22,099 (96)	24,658 (96)
	(i) बाजार ऋण	9,224 (49)	10,147 (52)	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	285 (1)	285 (1)
	(iii) अधिविकर्ष	-	-	-	171 (1)	249 (1)
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,534 (19)	3,354 (17)	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	4,936 (26)	5,063 (26)	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)
2.	भारत सरकार से ऋण	960 (5)	947 (5)	1,018 (5)	1,012 (4)	1,071 (4)
कुल लोक ऋण:		18,654	19,511	20,765	23,111	25,729
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
0 - 1		952.61(5)	1,496.44(8)	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)
1 - 3		3,121.30(17)	3,408.68(17)	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)
3 - 5		3,346.47(18)	2,853.82(15)	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)
5 - 7		3,087.09(16)	4,291.81(22)	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)
7 या उससे ऊपर		8,146.89(44)	7,459.94(38)	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

कुल लोक ऋण 2010-11 के ₹ 18,654 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 25,729 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 8.41 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2010-11 के 49 प्रतिशत से लगातार बढ़ते हुए 2014-15 में 59 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष (2014-15) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 11.33 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा इंगित करती है कि आठ प्रतिशत (₹ 2,046 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। अड़तीस प्रतिशत (₹ 9,766 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 54 प्रतिशत (₹ 13,917 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने अपेक्षित हैं जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे।

विगत चार वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: प्रति व्यक्ति ऋण

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6901	0.6971	0.7042	0.7113
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	28,228	30,442	33,884	38,192
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	40,904	43,669	48,117	53,693

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण की 2011-12 में ₹ 40,904 करोड़ से 2014-15 में ₹ 53,693 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है (चार वर्षीय अवधि में 31 प्रतिशत वृद्धि)।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता¹² को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2010-11 से आरम्भ करते हुए पांच वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण तालिका 1.28 में दिया गया है।

तालिका 1.28: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋणानुपात (%)	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
राजस्व प्राप्तियों पर ऋणानुपात (%)	207.81	194.10	195.17	215.67	214.04
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ¹³	252	899	(-) 1,346	(-) 1,032	(-) 189
उधार निधियों की निवल उपलब्धता (करोड़)	752	(-) 317	(-) 155	978	1,500
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.153	0.146	0.152	0.158	0.160

उपर्युक्त तालिका 1.28 से प्रकट होता है कि

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर ऋण ने 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के दौरान क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया और यह गत वर्ष की अपेक्षा 2014-15 में थोड़ा सा बढ़ा। अपनी राजस्व प्राप्तियों से वार्षिक ऋण भुगतान करने की सरकार की सामर्थ्य को इंगित करने वाले राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ऋण का 2010-11 से 2014-15 के पांच वर्षों के दौरान अन्तर 194.10 प्रतिशत से 215.67 प्रतिशत रहा।
- ऋणात्मक संसाधन अन्तराल ऋण की अधारणीयता इंगित करता है जबकि धनात्मक ऋण वहन करने की क्षमता का सूचक है। राज्य द्वारा 2010-12 में पश्चानुभूत धनात्मक संसाधन अन्तराल 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में ऋणात्मक होकर क्रमशः ₹ 1,346 करोड़, ₹ 1,032 करोड़ व ₹ 189 करोड़ हो गया।
- चुकौतियों (ब्याज शामिल करते हुए) का प्रावधान करने के पश्चात् ऋण से उपलब्ध शुद्ध निधियां 2011-12 में ₹ 317 करोड़ व 2012-13 में ₹ 155 करोड़ की ऋणात्मक निधि उपलब्धता के प्रति धनात्मक होकर 2013-14 में ₹ 978 करोड़ व 2014-15 में ₹ 1,500 करोड़ हो गयी।

1.10.3 भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुद्ध उधार सीमा से अधिक ऋण जुटाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) में अन्य बातों के साथ-साथ उपबन्ध है कि कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं जुटा सकती।

भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की शुद्ध उधार सीमा ₹ 2,786 करोड़ निर्धारित की थी और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेशित किया कि उसके वृद्धिकारी उधार इस सीमांकन के अन्दर रहें। इस सीमांक में वित्त लेखे की विवरण संख्या 6 में यथाप्रदर्शित राज्य सरकार के उधार के सभी स्रोत शामिल हैं।

¹² परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

¹³ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

वित्त लेखे की विवरण संख्या 6 अर्थात् उधार एवं अन्य दायित्व के अनुसार राज्य सरकार के वृद्धिकारी उधार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 4,307.79 करोड़ थे जोकि शुद्ध उधार सीमा से ₹ 1,521.79 करोड़ (55 प्रतिशत) अधिक के उल्लंघन में परिणत हुए।

1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.एक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूंजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना है। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति तालिका 1.29 में प्रदत्त है:

तालिका-1.29: वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व चुकौती के ब्यौरे (₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	चुकौती के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2010-11	645	256	40	389	60
2011-12	1,25	403	30	922	70
2012-13	2,360	698	30	1,622	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की चुकौती के लिए नवीन उधारों (2010-11 से 2014-15) पर औसतन 31.20 प्रतिशत प्रयुक्त किया जबकि सम्बद्ध वर्षों में पूंजीगत व्यय हेतु औसतन 68.80 प्रतिशत प्रयुक्त किया। नवीन ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ.आर.बी.एम.एक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

1.10.4 बाजार उधारों की समीक्षा

1.10.4.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों का लेखांकन समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम मुख्य विभाजन हैं। आंतरिक ऋणों का पुनः बाजार ऋणों तथा परक्राम्य ऋणों में विभाजन किया जाता है।

बाजार उधारों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई ऋण नहीं उठा सकती, यदि वे केन्द्र सरकार की ऋणी हैं। राज्य सरकारें दिनांकित प्रतिभूतियां, विभिन्न अवधियों के राज्य विकास ऋणों को जारी करती हैं। बाजार उधारों की वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि के दौरान जुटाए गए बाजार ऋणों की आवश्यकता और प्रयुक्ति का निर्धारण करना है।

1.10.4.2 बाजार उधारों की स्थिति

2010-11 से 2014-15 की अवधि के बाजार उधारों की वर्षवार स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30: बाजार ऋणों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋणों का अथशेष	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकाये गये बाजार ऋण	अंत शेष	अथशेष के सम्बन्ध में निवल वृद्धि	विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रतिशत वृद्धि
2010-11	8,835	645	256	9,224	389	4.40
2011-12	9,224	1,325	403	10,147	923	10.00
2012-13	10,147	2,360	698	11,809	1,662	16.37
2013-14	11,809	2,367	611	13,565	1,756	14.87
2014-15	13,565	2,345	714	15,196	1,631	12.02

स्रोत: वित्त लेखे/वित्त विभाग

बाजार उधार 2010-11 के आरम्भ में ₹ 8,835 करोड़ से 72 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 के अंत तक ₹ 15,196 करोड़ हो गये।

1.10.4.3 ऋण धारणीयता सूचक

राज्य सरकार के ऋण धारणीयता सूचक तालिका 1.31 में दिये गये हैं।

तालिका 1.31: ऋण धारणीयता सूचक

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल देयताएं	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
लोक ऋण दायित्व*	18,654	19,511	20,765	23,111	25,729
अन्य दायित्व	7,761	8,717	9,677	10,773	12,463
कुल बाजार ऋण	9,224	10,147	11,809	13,565	15,196
कुल देयताओं के प्रति बाजार ऋणों की प्रतिशतता	34.92	35.95	38.79	40.03	39.79
लोक ऋण के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	49.45	52.01	56.87	58.69	59.06
बाजारी ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर-वित्तीय वर्षवार	8.45	8.87	8.77	8.71	8.91
बाजार ऋणों पर भुगतान किया गया ब्याज	678.40	706.56	849.54	974.03	1,183.46
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.16	1.87	1.68	1.44	1.27
राजस्व प्राप्ति अनुपात के प्रति सकल ब्याज भुगतान	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
प्राथमिक अधिशेष (+)/ घाटा (-)	(-)582.77	(+)496.65	(-)608.51	(-)1,530.72	(-)1,351
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	(-)1,235.44	(+)644.89	(-)576.13	(-)1,641.42	(-)1,944
राजकोषीय घाटा	2,532.54	1,633.05	2,978.41	4,011.58	4,200
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता	46.36	42.48	39.92	39.47	39.96
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता	32.74	29.36	27.23	26.92	26.92
बकाया गारंटियां	3,909.90	3,316.43	3,353.36	4,332.86	4,281
विगत वित्तीय वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	10,346.36	1,2710.61	14,542.86	15,598.12	15,711.07
राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया गारंटियों की प्रतिशतता	37.79	28.45	24.29	27.78	27.24

* आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता 2010-11 में 46.36 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 39.96 प्रतिशत हो गई थी जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता 2010-11 में 32.74 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 26.92 प्रतिशत हो गई। 2014-15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की 39.96 प्रतिशतता राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के 40.10 प्रतिशत के लक्ष्य के अंतर्गत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋण का शेयर 2010-11 में 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त 2010-11 के अंत तक विद्यमान ₹ 9,924 करोड़ का बाजार ऋण 2014-15 में 65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 15,196 करोड़ हो गया। विगत पांच वर्षों में बाजार ऋणों में निरन्तर वृद्धि से सरकार की अपने वित्तों के प्रबंधन हेतु बाजार ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता दृष्टिगोचर होती है।

1.10.4.4 बाजार ऋण की रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान जुटाए गये बाजार ऋणों की रूपरेखा तालिका 1.32 में दी गई है।

तालिका 1.32: बाजार ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़)

ऋण की अवधि	जुटाए गये ऋण की राशि				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
3-5 वर्ष	--	--	600	440	--
5-7 वर्ष	--	--	400	--	--
>7 वर्ष	645	1,325	1,360	1,927	2,345
वर्ष के दौरान उठाये गये कुल ऋण	645	1,325	2,360	2,367	2,345
31 मार्च तक कुल बकाया	9,224	10,147	11,809	13,565	15,196
कुल बकाया ऋण के प्रति वर्ष के दौरान जुटाए गये ऋण की प्रतिशतता	6.99	13.06	19.98	17.45	15.43

स्रोत: वित्त विभाग एवं वित्त लेखे

2010-15 के दौरान ₹ 9,042 करोड़ के कुल बाजार उधारों में से 84.07 प्रतिशत ऋण 7 से 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि के थे। कम परिपक्वता अवधि (3-7 वर्ष) के ₹ 1,440 करोड़ के ऋण 2012-13 और 2013-14 के दौरान ही जुटाए गये हैं।

1.10.4.5 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2016-23 की अवधि के बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.33 में दी गई है।

तालिका 1.33: बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवाह (31 मार्च 2015 तक)

(₹ करोड़)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2016-17	1,237	8.14
2017-18	2,049	13.48
2018-19	2,102	13.83
2019-20	1,420	9.34
2020-21	645	4.24
2021-22	1,325	8.72
2022-23	1,360	8.95

मार्च 2015 तक बकाया बाजार ऋण = ₹ 15,196 करोड़

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान बकाया ऋणों के क्रमशः 13.48 प्रतिशत तथा 13.83 प्रतिशत के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 9.53 प्रतिशत की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी।

1.10.4.6 बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

वर्षवार औसत ब्याज दरें जिन पर सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि के दौरान बाजार ऋण प्राप्त किये गये थे तालिका 1.34 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.34: बाजार ऋणों की ब्याज दर रूपरेखा

(₹ करोड़)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान जुटाए गये बाजार ऋण					
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
7-7.99	-	-	-	600	-	600
8-8.99	645	1,120	2,360	603	1,445	6,173
9-9.99	-	205	-	1,164	900	2,269
भारित औसतन ब्याज दर (प्रतिशत)	8.45	8.87	8.77	8.71	8.91	-

स्रोत: वित्त विभाग

बाजार ऋणों पर भारित औसतन ब्याज दर 2010-11 में 8.45 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.87 प्रतिशत हो गई तथा फिर 2012-13 में गिर कर 8.77 प्रतिशत तथा 2013-14 में 8.71 प्रतिशत हो गई व 2014-15 में मामूली सी बढ़कर 8.91 प्रतिशत हो गयी। 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि की तुलना में भारित औसतन ब्याज दर में वृद्धि मुख्यतः 3 से 5 वर्षों की परिपक्वता वाले कम अवधि के बाजार ऋण जुटाने के कारण थी।

1.10.4.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.35 विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.35: राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतान

(₹ करोड़)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
ब्याज भुगतान	1,950	2,130	2,370	2,481	2,849
राजस्व प्राप्तियां	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	15.34	14.65	15.19	15.79	15.97

स्रोत: वित्त लेखे

2010-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 15.34 प्रतिशत से गिरकर 14.65 प्रतिशत हो गई, परन्तु 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में लगातार बढ़कर क्रमशः 15.19 प्रतिशत, 15.79 प्रतिशत व 15.97 प्रतिशत हो गई। राज्य की समग्र ऋण वहन क्षमता में 2010-15 की अवधि में (2011-12 को छोड़कर) गिरता प्रवाह प्रदर्शित हुआ।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह शाखा इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।

1.11.1 घाटों का प्रवाह


एफ.आर.बी.एम.एक्ट, 2005 के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना अपेक्षित था व तत्पश्चात राजस्व अधिशेष बरकरार रखना था। 2010-15 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों के प्रवाह (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) को तालिका 1.36 व चार्ट 1.9 एवं 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.36: घाटों का प्रवाह


(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
घाटे					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-)1,235	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641	(-)1,944
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)582	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.17	(+) 0.97	(-) 0.76	(-)1.91	(-) 2.03
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.44	(-) 2.46	(-) 3.91	(-) 4.67	(-) 4.39
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.02	(+) 0.75	(-) 0.80	(-) 1.78	(-) 1.41

चार्ट 1.9: घाटे के सूचकों का प्रवाह
(₹ करोड़)



चार्ट 1.10: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों का प्रवाह
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)



2011-12 के दौरान राजस्व घाटे की शून्य स्थिति की प्राप्ति और तदुपरांत राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित था जिसे लब्ध नहीं किया जा सका। वर्ष 2011-12 के अतिरिक्त जब राज्य ने क्रमशः ₹ 645 करोड़ एवं ₹ 497 करोड़ का राजस्व एवं मूल अधिशेष पाया, 2010-15 के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं मूल सभी लेखों में भारी घाटे की स्थिति का अनुभव किया गया। 2011-12 में राजस्व अधिशेष की स्थिति से राज्य को 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 576 करोड़, ₹ 1,641 करोड़ व ₹ 1,944 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।

राजकोषीय घाटा 2013-14 में ₹ 4,011 करोड़ से ₹ 189 करोड़ बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.39 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 प्रतिशत) से सार्थक रूप से अधिक था। मूल घाटा 2013-14 में ₹ 1,530 करोड़ से ₹ 179 करोड़ घटकर 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे का संघटन तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय घाटे के संघटक					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-)1,235 ((-) 2.17)	(+) 645 (0.97)	(-) 576 ((-) 0.76)	(-) 1,641 ((-) 1.91)	(-) 1,944 ((-) 2.03)
2 शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,143(2.00)	1,810(2.72)	1,955(2.56)	1,856(2.16)	1,823(1.91)
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	154(0.27)	468(0.70)	448(0.59)	514(0.60)	433(0.45)
4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा*					
1 बाजार उधार	389	922	1,662	1,757	1,631
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 23	(-) 13	71	(-) 6	59
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	650	127	286	424	904
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	526	(-) 180	(-) 764	173	24
5 लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	888	636	1,112	887	1,185
6 निक्षेप एवं अग्रिम	333	178	(-) 156	207	504
7 उचन्त एवं विविध	137	(-) 119	756	267	28
8 प्रेषण	48	(-) 127	(-) 174	(-) 23	12
9 अन्य	(-)416	209	186	325	(-) 147
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।

*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त तालिका 1.37 दर्शाती है कि 2014-15 के दौरान ₹ 4,200 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों (₹ 1,631 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,185 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियों (₹ 904 करोड़) व जमा एवं अग्रिम (₹ 504 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2011-12 के 2.72 से घटकर चालू वर्ष में 1.91 प्रतिशत हो गया जो प्रदर्शित करता है कि उधार ली गई राशि का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजनार्थ करने की बजाय राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उधार ली गई राशि की प्रयुक्ति के ब्यौरे तालिका 1.38 में प्रदत्त है।

तालिका 1.38: उधारों की प्रयोज्यता

(₹ करोड़)

वर्ष	कुल उधार	पहले लिए गए उधारों की चुकौती (मूलांश)	शुद्ध पूंजीगत व्यय	शेष
1	2	3	4	5 (2-(3+4))
2010-11	2,411	870 (36)	1,143 (47)	398 (17)
2011-12	1,984	1,128 (57)	1,810 (91)	(-) 954 (-48)
2012-13	3,371	2,117 (63)	1,955 (58)	(-) 701 (-21)
2013-14	4,050	1,704 (42)	1,856 (46)	490 (12)
2014-15	10,877	8,260 (76)	1,823 (17)	794 (7)

(कोष्ठकों के आंकड़े कुल उधारों की प्रतिशतता इंगित करते हैं)

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 1.38 स्पष्टतः दर्शाती है कि अधिकांश उधार पूर्व में लिए गए उधारों की चुकौती हेतु प्रयुक्त किए गए। विगत दायित्वों की चुकौती हेतु उधारों की प्रयुक्ति प्रतिशतता वर्षानुवर्ष बढ़ रही है और पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध राशि घट रही है। चुकौती हेतु उधारों की प्रयुक्ति 2011-12 के 36 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 76 प्रतिशत हो गयी जबकि पूंजीगत व्यय हेतु 2011-12 के 91 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 17 प्रतिशत रह गई। कुल उधारों की शेष राशि राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय के अन्तराल के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की गयी थी।

वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 2010-15 के दौरान 36 से 76 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों की चुकौती हेतु प्रयुक्त होती है जिसका तात्पर्य है कि नए उधार पुराने उधारों के वित्त पोषण व बढ़ते राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चूंकि उधार एफ.आर.बी.एम. ऐक्ट में निर्धारित सीमा तक पहुंच गए हैं और निवेशों से उधार ली गई राशि पर प्रदत्त ब्याज से अतीव न्यून प्रतिफल मिल रहा है जैसे कि पैरा 1.8.2 में दिया गया है, अतः नए उधारों से राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2010-14 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.49 तक था। 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से अधिक 0.46 था (परिशिष्ट 1.3)।

2010-15 (तालिका 1.39) के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत कारकों के द्विभाजन से उद्घाटित हुआ कि इस अवधि में प्राथमिक व्यय की तुलना में प्राथमिक घाटा ऋणोत्तर प्राप्तियों की धीमी वृद्धि के कारण था। अतएव राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं थीं। यदि यह प्रवाह निरन्तर रहा तो ऋण वहनीयता गंभीर संकट में होगी क्योंकि प्रत्येक वर्ष आदर्शात्मक वृद्धिकारी ऋणोत्तर प्राप्तियां न केवल वृद्धिकारी प्राथमिक व्यय को थामती हैं अपितु वृद्धिकारी ऋण बोझ को भी संबल देती है।

तालिका 1.39: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
2010-11	13,430	11,996	1,789	227	14,012	1,434	(-) 582
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351

राज्य ने 2011-12 में अपने वित्तीय संसाधनों में सुधार अवलोकित किया क्योंकि 2010-11 का (-) ₹ 582 करोड़ का प्राथमिक घाटा ₹ 497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया लेकिन राज्य ने 2012-13 में ₹ 609 करोड़ के प्राथमिक घाटे की अनुभूति की जो 2013-14 में पुनः बढ़कर ₹ 1,530 करोड़ हो गया। 2014-15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 1,351 करोड़ था जो गत वर्ष से ₹ 179 करोड़ कम था। यह गत वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान ₹ 2,607 करोड़ (15 प्रतिशत) के कुल प्राथमिक व्यय के सापेक्ष ऋणोत्तर प्राप्ति में ₹ 2,806 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि का विशुद्ध प्रभाव था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे पर ब्याज भुगतान 68 प्रतिशत था।

1.12 राज्य वित्त के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष व संस्तुतियां

राज्य ने 2011-12 में राजस्व घाटा खत्म करने के लक्ष्य की लब्धि कर ली क्योंकि उस वर्ष राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 645 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2011-12 के पश्चात् उसने निरन्तर 2012-13 (₹ 576 करोड़), 2013-14 (₹ 1,641 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,944 करोड़) राजस्व घाटे की अनुभूति की। इस प्रकार 2010-11 से 2014-15 (2011-12 को छोड़कर) के दौरान राजस्व लेखा तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों व राजस्व अधिशेष के अनुश्रवण के एफ.आर.बी.एम. लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त एफ.आर.बी.एम. एक्ट में नियत लक्ष्य व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों (3 प्रतिशत) के सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 2014-15 में 4.39 प्रतिशत होकर काफी अधिक था। गत वर्ष के ₹ 1,530 करोड़ के प्राथमिक घाटे में सुधार होकर यह 2014-15 में ₹ 1,351 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में राज्य का कुल बकाया ऋण 2014-15 में 39.96 था जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के लक्ष्य (40.10) के अन्तर्गत था लेकिन एम.टी.एफ.पी.एस. में 37.58 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

2014-15 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्ति (₹ 17,843 करोड़) ₹ 2,132 करोड़ (13.57 प्रतिशत) बढ़ गई। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व (33 प्रतिशत) व भारत सरकार से सहायता अनुदान (40 प्रतिशत) का अंश पूर्ववत् बना रहा लेकिन कर-भिन्न राजस्व (12 प्रतिशत) गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में एक प्रतिशत बढ़ गया।

कर एवं कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय के नियन्त्रणार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए ताकि निधि उधार लेने के आश्रय पर कम निर्भर रहा जाए।

यद्यपि राजस्व व्यय 2013-14 में ₹ 17,352 करोड़ से ₹ 2,435 करोड़ (14.03 प्रतिशत) बढ़कर 2014-15 में ₹ 19,787 करोड़ हो गया व इसी अवधि में कुल व्यय में इसका अंश (87 प्रतिशत) तीन प्रतिशत घट गया लेकिन आयोजनेतर राजस्व व्यय 2010-15 में राजस्व व्यय का 84-88 प्रतिशत था। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशनों एवं उपदानों पर हुआ व्यय 2010-11 में ₹ 10,455 करोड़ से निरन्तर वृद्धि दर्शाते हुए 2014-15 में वह ₹ 14,982 करोड़ पहुंच गया। इसके अतिरिक्त शुद्ध पूंजीगत व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत 2011-12 के 2.72 से घटकर चालू वर्ष में 1.91 हो गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उधार ली गई राशि परिसम्पत्तियों के सृजन की बजाय राजस्व व्यय की पूर्ति में प्रयुक्त की गई।

यद्यपि आयोजनेतर राजस्व व्यय अधिकतर तनख्वाहों, ब्याज भुगतानों व पेंशनों पर है जो कि नियन्त्रण मुक्त है लेकिन राज्य सरकार आयोजनेतर राजस्व व्यय को नियन्त्रणाधीन करने के लिए उपयुक्त पगों की संभावना पर विचार कर सकती है ताकि परिसम्पत्तियों के सृजन व राज्य के धारणीय विकास हेतु राजस्व घाटा समाप्त किया जा सके।

2014-15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को राज्य के बजट से बाहर रखकर सीधे ₹ 278.55 करोड़ हस्तान्तरित किए। इन निधियों के अनुश्रवणार्थ राज्य में कोई पृथक ऐजेन्सी नहीं है।

इन निधियों की लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।

सरकार ने 31 मार्च 2015 को सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों व सहकारी समितियों में ₹ 2,732 करोड़ निवेशित किए। विगत पांच वर्षों में सरकारी निवेशों पर औसत प्रतिफल 3.81 प्रतिशत था और उसने अपने उधारों पर 7.86 प्रतिशत औसत ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार को ऋण के वित्त पोषणार्थ समर्थकारी होने के लिए विभिन्न एकाकों में अपने निवेश की उत्पादकता में सुधार करना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा 26 विभिन्न संस्थाओं/एकाकों को प्रदत्त ₹ 79.86 करोड़ के ऋण व अग्रिमों की वसूली अभी बकाया थी और इन्हे वसूल करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए। बकाया पड़े ऋण 4 से 28 वर्ष पुराने थे। पुनः 2006-07 से 2014-15 तक ₹ 26.57 करोड़ का ऋण विभिन्न ऋणियों/एकाकों को स्वीकृत किया गया था जिसकी शर्तें निर्धारित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार प्रदत्त ऋणों की शर्तों को सुनिश्चित करें और पहले के ऋणों की वसूली किए बिना आगामी ऋण व अग्रिमों की स्वीकृति की परिपाटी पर पुनर्विचार करें।

2011-12 व 2014-15 में राज्य के सामाजिक क्षेत्र में सकल व्यय के सापेक्ष कुल व्यय का अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों से क्रमशः 2.92 व 3.06 प्रतिशत कम था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी है क्योंकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय अनुपात प्रतिशतता 2011-12 में 11.17 है और 2014-15 में 10.88 है। यह विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 व 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से न्यून है।

सरकार को सामाजिक क्षेत्र में व्यय बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए व साथ-साथ राज्य में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 13 प्रतिशत की वृद्धि वाले ₹ 38,192 करोड़ के राजकोष दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद व राजस्व प्राप्तियों के क्रमशः 40 व 214 प्रतिशत थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2010-11 के 49.45 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 59.06 प्रतिशत हो गया। आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता राशि औसतन 9.53 प्रतिशत थी जिससे 2017-18 में बकाया ऋणों के 13.48 प्रतिशत व 2018-19 में 13.83 प्रतिशत ऋणशोधन का दबाव है। 2010-15 में 36 से 76 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे सिद्ध है कि नए उधार पुरानों को चुकाने व बढ़े राजस्व व्यय में खर्च हुए। चूंकि उधार एफ.आर.बी.एम. ऐक्ट में निर्धारित सीमा तक पहुंच गए हैं, इसलिए नए उधारों से राज्य सरकार की राजकोष व्यवस्था पर प्रतिकूलता आएगी।

राज्य सरकार आवश्यकता आधारित उधार लेने पर विचार करे व इन उधारों को बढ़ते राजस्व व्यय को पूरा करने की बजाय पूंजीगत व्यय हेतु खर्च करें।